

18 $\frac{10}{2023}$ पञ्जावली - पेडा हुई। वकील प्रार्थी जय, वकील प्रार्थी
 कलस हेतु - दफ्तर जाते हैं दफ्तर रीफ, जाकर 'सोला' दिनांक 18/12/2023 को पेडा की जाये

18 $\frac{12}{2023}$ आज श्रीमान् ए सी एम. / एस डी एम
 साहब द्वारा 24/12/2023 पर है।
 पेशी इलाका की जाकर पञ्जावली
 नारीख 24/12/2023 को पेश हो।

19 $\frac{02}{2024}$ आज श्री 24/12/2023 पर है।
 साहब द्वारा 24/12/2023 पर है।
 पेशी इलाका की जाकर पञ्जावली
 नारीख 24/12/2023 को पेश हो।

24 $\frac{04}{2024}$ आज श्रीमान् ए सी एम. / एस डी एम
 साहब द्वारा 24/12/2023 पर है।
 पेशी इलाका की जाकर पञ्जावली
 नारीख 24/12/2023 को पेश हो।

21 $\frac{06}{2024}$ आज श्रीमान् ए सी एम. / एस डी एम
 साहब द्वारा 24/12/2023 पर है।
 पेशी इलाका की जाकर पञ्जावली
 नारीख 24/12/2023 को पेश हो।

21 $\frac{08}{2024}$ आज श्रीमान् ए सी एम. / एस डी एम
 साहब द्वारा 24/12/2023 पर है।
 पेशी इलाका की जाकर पञ्जावली
 नारीख 24/12/2023 को पेश हो।

25/10/2024 पञ्जावली आज पेडा हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
 वकील प्रार्थी की कलस युनी जपनी। वकील प्रार्थी कलस
 एवं पञ्जावली में उपलब्ध हस्तावेजात के आधार पर
 अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में
 खोले गये हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
 योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा
 पूर्व में दिनांक 12.04.2023 को जारी अस्थायी
 निषेधाज्ञा को कन्कर्म किया जाता है। पञ्जावली केसल
 शुमार होकर उर्ज दायित्व दफ्तर है।
 निर्णय आज दिनांक 25-10-2024 को मेरे हाथ
 लिखा जाये सुनाया जाय।



25/10/24
 सहायक कलेक्टर
 बाप (फ़ेरोज़पुर)